प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 27.08.2025

❖ **थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही से टप्पेबाजी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 19.08.2025 को वादिनी श्यामवती पत्नी हुब्बलाल निवासिनी ग्राम बहिरी उमरी, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना डेरापुर पर दी गई लिखित तहरीर, जिसमें उसके गाँव के पास खेतो में रोड के किनारे बकरी चराने के दौरान दो अज्ञात लडकों के मोटरसाइकिल से आने, प्रार्थिनी से बोलने कि उसके चार लडको मे से एक लडका बीमार रहता है, तुम 11 कन्याओ को भोज करा दो तो तुम्हारा लडका ठीक हो जायेगा, उसके बाद अपना पर्स और 500 रूपये प्रार्थिनी के हाथ पर रख देने, 03-04 कदम आगे जाकर थोडी देर रूककर वापस आने, अपने पैसे व पर्स वापस ले लेने, बोलने कि तुम अपनी कोई चीज/सामान दो जिस पर प्रार्थिनी द्वारा अपने कान के बाले उतार कर उन्हे दे देने, फिर प्रार्थिनी से बोलने कि थोडी दूर जाकर घूम कर खडी हो जाओ और उन्हे मुड कर न देखे, वह लोग प्रार्थिनी के कान के बाले लेकर मोटरसाइकिल से भाग जाने के सम्बन्ध मु0अ0सं0 157/2025 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत हुई। विवेचना के दौरान बड़ागांव वाली पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल डेरापुर रूरा मार्ग की तरफ से आती दिखायी दी जिसको पुलिस द्वारा टार्च की रोशनी डालकर रोकने का प्रयास करने पर पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल को एकदम स्पीड कम करते हुए तेजी से मोडने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी जिससे एक व्यक्ति मौके से भाग गया तथा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया जिसके कव्जे से कानों की बाली बेचने से प्राप्त रुपयों मे से शेष रूपये 2600/-, 01 अदद तमंचा 315 वोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 वोर वरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी करते हुये अवैध शस्त्र के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 158/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षण कराते हुये नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शहरे अली उर्फ शेर अली उर्फ शहरूआ पुत्र अंगूर अली, उम्र 32 वर्ष, मूल निवासी ग्राम जल्लापुर सिकन्दरा, थाना राजपुर,जनपद कानपुर देहात, हाल-पता ग्राम नौरंगावाद लालपुर, थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने वताया कि साहव मै वचपन से ही गलत संगत में पड़ गया और लूट, चोरी, टप्पेवाजी व हेराफेरी करने लगा था। शुरू-शुरू में पैसा मिलने से मुझे यह काम वहुत अच्छा लगने लगा। फिर इस काम में मेरे साथी जुडते चले गये। कुछ साथी तो मेरे गाँव जल्लापुर सिकन्दरा के हैं, कुछ जेल में दोस्त बन गये, कुछ मूसानगर के हैं। अब मैं अपनी ससुराल ग्राम नौरंगाबाद लालपुर, थाना रूरा में ही रहता हूँ। नौरंगाबाद

लालपुर में तो लगभग काफी लोग लूट, चोरी व टप्पेबाजी करते हैं। मुझे नौरंगाबाद में अच्छा लगने लगा तो मैं अपना मूल गाँव छोडकर यही रहने लगा। लगभग एक हफ्ताह पहले मै और नौरंगाबाद लालपुर का मेरा साथी शाहरूख पुत्र रज्जब अली उर्फ गाडी उर्फ छोटू अली काम की तलाश में सिठमरा से नुनारी की तरफ जा रहे थे कि बहरी उमरी गाँव के पास सडक के किनारे लगभग 60 साल की एक सीधी-साधी महिला बकरी चराती हुए मिली तो हम लोगो ने अपनी बातो का जाल बिछाया। आज के जमाने में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो किसी न किसी समस्या से परेशान न हो। हम दोनों ने अंदाज से ही उस महिला कहा कि तुम्हारा एक लडका बीमार है। महिला भी कहने लगी हाँ सही बात है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर तुम्हारा लडका ठीक हो जायेगा तो 11 कन्याओं का भोज करा देना और इसी प्रकार की बातों का झांसा देकर महिला से उसके कानों के बाले उतरवा लिए और फिर हम लोग इसी मोटरसाईकिल से जो आपने पकडी है भाग गये। आपको मुझसे जो रुपये प्राप्त हुए हैं वो रुपये कानों की बाली बेचने से प्राप्त रुपयों में से खर्च करने के बाद शेष बचे रुपये हैं। मोटरसाइकिल मेरी साली के नाम है। मोटरसाईकिल का नंबर मुझे याद नहीं है। शाम को खाना खाने के बाद मैं और शाहरूख काम की तलाश में निकले थे कि आप लोग मिल गये शाहरूख तो भाग गया और मुझे आपने पकड़ लिया। यह तमंचा हम लोग रात के वक्त निकलते समय अपनी सुरक्षा के लिये रखते हैं।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

2600/- रुपये नगद, 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल टीवीएस राइडर रंग काला, बिना नम्बर प्लेट, चेसिस नं0 MD625AF93R2L00230, इंजन नं0 AF9KR2137827 (207 MV Act में सीज)।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 59/24 धारा 379/420 थाना मोठ, जनपद झांसी।
2. मु0अ0सं0 68/2024 धारा 392/411 भादवि थाना कोंच, जनपद जालौन।
3. मु0अ0सं0 71/2024 धारा 379/411 भादवि0 थाना कोंच, जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0 82/2024 धारा 307/34 भादवि0 व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना कोंच, जनपद जालौन।
5. मु0अ0सं0 150/2022 धारा 379/411 भादवि0 थाना ऐरवाकटरा, जनपद औरैया।
6. मु0अ0सं0 203/2022 धारा 328/392/411 भादवि0 थाना कोतवाली औरैया, जनपद औरैया।
7. मु0अ0सं0 241/2022 धारा 356/411 भादवि0 थाना विधुना जनपद औरैया।
8. मु0अ0सं0 297/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना अजीतमल जनपद औरैया।
9. मु0अ0सं0 547/2022 धारा 420/411 भादवि0 थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया।
10. मु0अ0सं0 204/2021 धारा 323/504/506 भादावि0 थाना रूरा, जनपद कानपुर देहात।
11. मु0अ0सं0 150/2019 धारा 420/411 भादवि0 थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।
12. मु0अ0सं0 181/2019 धारा 307 भादवि0 थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।
13. मु0अ0सं0 182/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।
14. मु0अ0सं0 334/2019 3(1) गैंग0 अधिनियम थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।
15. मु0अ0सं0 187/2018 धारा 420/406 भादवि0 थाना डेरापुर कानपुर देहात।
16. मु0अ0सं0 157/2025 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना डेरापुर कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना डेरापुर पुलिस